

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 220 वीं बैठक दिनांक 30.09.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एजेण्डा संख्या 1 से 16 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1 से 7 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी-1) से संबंधित है एवं एजेण्डा संख्या 17 से 25 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या- 8 से 14 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-11) से संबंधित है। जिसका कार्यवाही विवरण संबंधित अति. मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी-1)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-11) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन-14ए, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन-12बी व 16, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री नरहरि सिंह पंवार, सहायक नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-4 व 5, जविप्रा, जयपुर।
8. सुश्री प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक, (जोन-4), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री योगेश कुमार, सहायक नगर नियोजक, (जोन-12), जविप्रा, जयपुर।
10. सुश्री बलविन्द्र कौर, अरबन प्लानर, (जोन-10), जविप्रा, जयपुर।
11. सुश्री संगीता, अरबन प्लानर, (जोन-11), जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती ऊषा जैन, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।



1/12

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा

220/30.09.2014

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 219 वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सम्बन्ध में।

बीपीसी (एलपी) की 219 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) /बीपीसी/2014/डी-307 दिनांक 09.09.2014 को जारी किये जा चुके हैं। अतः जारी किये गये कार्यवाही विवरण की समिति द्वारा पुष्टि की गयी।

एजेण्डा-1

220/30.09.2014 (मा. प्लान)

विषय:- सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान-62 के प्रारूप अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व में भी बीपीसी (एलपी) की 118वीं बैठक दिनांक 24.07.2008 द्वारा अनुमोदन कर सुझाव/आपत्ति मांगे गये थे परन्तु रिकार्ड की अनुपलब्धता के कारण उन पर अंतिम निर्णय कर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी थी अतः एक बार पुनः प्रारूप सेक्टर प्लान-62 पर आपत्ति/सुझाव मांगे जावें क्योंकि विगत वर्षों में काफी भौतिक परिवर्तन/कमिटमेन्टस के कारण बदलाव आये हैं।

इस सेक्टर प्लान में आने वाले क्षेत्र में से आंशिक क्षेत्र का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 में ईकोलोजिकल दर्शित था। इस सेक्टर प्लान में 80 फीट व 80 फीट से अधिक चौड़ी सडकों के सहारे वाणिज्यिक पट्टी बीपीसी (एलपी) की 214वीं बैठक दिनांक 12.05.14 में लिये गये निर्णय की पालना में दर्शाया गया जिसका अन्तिम अनुमोदन शेष है परन्तु यह व्यावसायिक पट्टी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन जनहित याचिका 1554/04 के निर्णयों के अध्याधीन होगी।

एजेण्डा संख्या-2

220/30.09.2014 (मा. प्लान)

विषय :- रोड सेक्टर प्लान-67 के अंतिम अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा में वर्णित आपत्ति/सुझावों पर समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पश्चात पूर्व में किये गये कमिटमेन्टस के परिपेक्ष्य में आंशिक संशोधन के साथ सेक्टर प्लान-67 का अन्तिम अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।



2/12

एजेण्डा संख्या-3

220/30.09.2014 (मा. प्लान)

विषय :- रोड सेक्टर प्लान-70 के अंतिम अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रारूप सेक्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर, आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट व जविप्रा द्वारा किये गये कमिटेन्टस के परिपेक्ष्य में आंशिक संशोधन के साथ सेक्टर प्लान को अनुमोदित किया जावे।

एजेण्डा संख्या-4

220/30.09.2014 (मा. प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-75 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्राप्त आपत्ति/सुझावों के क्रम में मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शित पर्यटक सुविधाओं को चौड़ा मार्ग उपलब्ध करवाने के लिये सेक्टर प्लान में आंशिक संशोधन कर 60' सड़क को 100 फीट चौड़ा रखते हुये अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-5

220/30.09.2014 (जोन-6)

विषय :- सिंधु गृ.नि.स.स. की योजना 16-एफ न्यू कालोनी में प्रस्तावित सेक्टर-31 की 80 फीट सेक्टर रोड की स्थिति मास्टर प्लान-2025 व मौके स्थिति अनुसार अनुमोदन करवाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

1. एजेण्डा क्रमांक 5 के विषय में प्रस्तावित सेक्टर-31 अंकित हो गया जिसे सेक्टर-19 पढा जाना है क्योंकि एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 में सेक्टर प्लान-19 का ही अंकन है।
2. जोन द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर प्लान-19 में प्रस्तावित एलाइमेन्ट मौके पर भिन्न है जबकि यह मास्टर विकास योजना-2025 एवं गुगल इमेज से अधिक साम्यता रखता है। अतः निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा पूर्व में किये गये सभी कमिटेन्टस को अंकित करते हुये मास्टर प्लान शाखा को उपलब्ध करावे ताकि तदपश्चात तैयार किये जाने वाले सेक्टर प्लान पर 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये सके।

एजेण्डा संख्या-6

220/30.09.2014 (जोन-6)

विषय :- जोन-6 क्षेत्राधिकार में आने वाले सेक्टर-31 की प्रस्तावित सेक्टर सड़कों, पूर्व में अनुमोदित योजनाओं में प्रस्तावित सेक्टर सड़कों व मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों के एकरेखन हेतु सेक्टर प्लान में संशोधन हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।



3/12

एजेण्डा संख्या-7

220/30.09.2014 (जोन-4)

विषय :- न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.समिति की योजना कृष्णा विहार के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 43, 44 व 45 के सैटबैक में शिथिलता देने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 14.07.2011 के माध्यम से भूखण्डों का पुनर्गठन कुल क्षेत्रफल 1680.20 वर्गगज का प्रस्तावित सैटबैक 30'-20'-20'-15' छोड़े जाने एवं अन्य पैरामीटर भवन विनियम, 2010 के अनुसार रखे जाने की शर्त पर आवासीय प्रयोजनार्थ पुनर्गठन किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः पुनर्गठित भूखण्ड में भवन विनियम 2011 के अनुसार सैटबैक में शिथिलता दिये जाने के संबंध में प्रकरण को पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-8

220/30.09.2014 (जोन-4)

विषय :- न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.समिति की योजना सिद्धार्थ नगर-ए के भूखण्ड संख्या ए-571 के नियमन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-9

220/30.09.2014 (जोन-4)

विषय :- आनन्द भवन गृ.नि.स. समिति की योजना मदर टैरेसा नगर के भूखण्ड संख्या सी-1 के शेष भाग (क्षेत्रफल 226.64 वर्गगज) का नियमन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-10

220/30.09.2014 (जोन-4)

विषय :- आवेदिका श्रीमती मंजूषा गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता ने गोकुल वाटिका गृ. नि. स. समिति की अनुमोदित योजना गोकुल वाटिका के भूखण्ड संख्या सी-15, सी-16 एवं सी-17 के पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात गोकुल वाटिका गृ. नि. स. समिति की अनुमोदित योजना गोकुल वाटिका के भूखण्ड संख्या सी-15, सी-16 एवं सी-17 का पुनर्गठन नियमानुसार सभी शुल्क लिये जाने के पश्चात किये जाने का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित भूखण्ड का सैटबैक व अन्य मानदण्ड एजेण्डा में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार देय होंगे।

(Signature)

4/12

एजेण्डा संख्या-14

220/30.09.2014 (जोन-9)

विषय :- विवेकानंद गृ.नि.स. समिति की योजना रामनगर-ए के जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र में प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सेक्टर रोड को विलोपित किये जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात सेक्टर रोड को यथावत रखते हुये प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-15

220/30.09.2014 (जोन-11)

विषय :- अनुमोदित सेक्टर प्लान -51, 52 एवं 53 में 100 फीट सेक्टर रोड के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत सडक सेक्टर 51, 52 एवं 53 में 100 फीट दर्शित है एवं दोनों और 50-50 फीट कॉमर्सियल भू-पट्टी दर्शाई गई है जबकि पूर्व में इसे 200 फीट मानते हुये गौरव नगर प्रथम योजना अनुमोदित है जो कि संभवतः कॉमर्सियल पट्टी को सडक में मान लिये जाने के भ्रांति के कारण सडक की चौड़ाई 100 फीट के स्थान पर 200 फीट मानते हुये तत्समय पट्टे जारी किये गये थे। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में सडक की चौड़ाई 100 फीट मानी जावे एवं पूर्व में अनुमोदित गौरव नगर योजना के सामने सडक की चौड़ाई यथावत 200 फीट ही रखी जावे।

एजेण्डा संख्या-16

220/30.09.2014 (जोन-15)

विषय :- अजमेर रोड से बगरू खुर्द को जा रही एक्जिस्टिंग 40 फीट रोड को ही मास्टर विकास योजना की 30 मीटर मानते हुए ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की 219वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 में रखा गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया, मास्टर विकास योजना-2025 की 100 फीट चौड़ी सडक को जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ओमेक्स सिटी की सीमा तक विद्यमान सडक पर किये जाने का निर्णय लिया गया एवं ग्राम बगरू खुर्द के आबादी क्षेत्र को बचाते हुये जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावों अनुसार सडक पर लूप बनाकर दक्षिण दिशा में मास्टर विकास योजना-2025 की सडक पर जोडे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रस्ताव अनुसार आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जावे व आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के पश्चात प्रकरण को पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जावे।



6/12

एजेण्डा संख्या-11

220/30.09.2014 (जोन-5)

विषय :- शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना कृष्णा कॉलोनी के भूखण्ड संख्या-94 के नियमन किये जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत 60 फीट सेक्टर रोड का एलायन्मेंट प्रशासन शहरों के संग अभियान 2013 में दिनांक 05.08.2013 को जोन स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही रखा जावे।

एजेण्डा संख्या-12

220/30.09.2014 (जोन-5)

विषय :- बाईस गोदाम से गोपालपुरा बाईपास तक सवाई माधोपुर रेलवे लाईन के समानान्तर पश्चिम की तरफ प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट सड़क की चौड़ाई के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-13

220/30.09.2014 (जोन-5)

विषय :- हीरा कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की योजना रूप विहार, सोडाला के आवासीय भूखण्ड बी-1, बी-2, बी-37, बी-38 व बी-39 कुल क्षेत्रफल 2278.80 वर्गगज (1905.37 व.मी.) का पुनर्गठन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि हीरा कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की योजना रूप विहार, सोडाला के आवासीय भूखण्ड बी-1, बी-2, बी-37, बी-38 व बी-39 कुल क्षेत्रफल 2278.80 वर्गगज (1905.37 व.मी.) का पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 2278.80 वर्गगज, अग्रसेट बैंक 40' (60' सड़क की ओर), साईड प्रथम 20 फीट, साईड द्वितीय 20 फीट पार्श्व 20 फीट रखते हुए कर दिया जावे। पुनर्गठित भूखण्डों पर नियमानुसार सभी शुल्क देय होंगे।

अन्य देय मानदण्ड एजेण्डा में दिये गये प्रस्तावों के अनुसार होंगे। पुनर्गठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की सक्षमता के अधीन होने से प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया।



5/12

एजेण्डा संख्या-21

220/30.09.2014 (जोन-9)

विषय :- निजी खातेदारी योजना रधुनंदन विहार के भूखण्ड संख्या 121 से 124 एवं 141 से 144 के पुर्नगठन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक का है अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर आवेदक से पुर्नगठन शुल्क जमा करवाकर, जविप्रा (जयपुर रीजन) भवन विनियम के प्रभावी प्रावधानो के अनुसार पैरामीटर्स अंकित करते हुए पुर्नगठन प्लान जारी कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्या-22

220/30.09.2014 (जोन-10)

विषय :- जय गणेश गृ.नि.स.स की योजना गणेश विहार के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-23

220/30.09.2014 (जोन-10ए)

विषय :- नेशनल गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना दादु नगर (स्कीम न.3) के भूखण्ड संख्या 13 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में नियमन की कार्यवाही उपायुक्त जोन स्तर से नियमानुसार जांच कर की जावे।

एजेण्डा संख्या-24

220/30.09.2014 (जोन-13ए)

विषय :- राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा न. 49/1 रकबा 54.02 बीघा एवं 39/2 रकबा 1.01 बीघा कितना 2 कुल रकबा 55.03 बीघा मे छोड़ी गई सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर एण्ड यूज का निर्धारण जोन के प्रस्तावानुसार स्वीकृत किया जावे एव आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार भूमि एवं सम्पत्ति की बैठक से करवायी जावे।



8/12

एजेण्डा संख्या-17

220/30.09.2014 (जोन-)

विषय :- सुविधा क्षेत्र में भूखण्डों के उपयोग हेतु क्षेत्रफल निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर मास्टर विकास योजना 2025 के प्रावधान (वालयूम 4 क्लाज 11) के अनुसरण में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बाबत सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्या-18

220/30.09.2014 (जोन-7)

विषय :- तोपखाना ग.नि.स.स की योजना नेमी सागर के भूसं पुर्नगठित भूस 265, 256 व 267 तथा भूस 264 के पुर्नगठन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक का है अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर आवेदक से पुर्नगठन शुल्क जमा करवाकर, जविप्रा (जयपुर रीजन) भवन विनियम के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार पैरामीटर्स अंकित करते हुए पुर्नगठन प्लान जारी कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्या-19

220/30.09.2014 (जोन-7)

विषय :- तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी सागर के भूखण्ड संख्या 73 के नियमन के संबंध में।


समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण मे नियमन की कार्यवाही उपायुक्त जोन स्तर से नियमानुसार जांच कर की जावे।

एजेण्डा संख्या-20

220/30.09.2014 (जोन-9)

विषय :- ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा न. 306 रकबा 0.39 हैक्टेयर (फार्म हाउस) के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। फार्म हाउस के भू-भाग का एकल पट्टा जारी किया जावे।



7/12

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-4

220/30.09.2014 (मा. प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-77 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रारूप सेक्टर प्लान-77 को एजेण्डा में दिये गये प्रस्तावों अनुसार अनुमोदित कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सेक्टर प्लान में आने वाले क्षेत्र में से आंशिक क्षेत्र का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 में ईकोलोजिकल दर्शित था। अतः इस सेक्टर प्लान में 80 फीट व 80 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों के सहारे वाणिज्यिक भू-पट्टी बीपीसी (एलपी) की 214वीं बैठक दिनांक 12.05.14 में लिये गये निर्णय की पालना में दर्शायी गयी है जिसका अन्तिम अनुमोदन शेष है परन्तु यह व्यावसायिक भू-पट्टी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन जनहित याचिका 1554/04 के निर्णयों के अध्याधीन होगी।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-5

220/30.09.2014 (जोन-11)

विषय :- आवेदक श्री बिरदी चन्द द्वारा ग्राम किशोरपुरा तहसील सांगानेर में प्रस्तावित ड्राफ्ट सेक्टर प्लान-81 की 30 मीटर सेक्टर रोड को दक्षिण में स्थित वर्तमान रोड पर घूमाव देकर मिलाते हुए सेक्टर प्लान में संशोधन करने बाबत।

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। प्रश्नगत सड़क मास्टर विकास योजना-2025 व सेक्टर 81 में 30 मीटर प्रस्तावित है। प्रकरण में खसरा नं. 195 व 196 की ही अनापत्ति प्राप्त हुई है एवं प्रस्तावित संशोधित एलाइमेन्ट से अन्य खसरे भी प्रभावित होते हैं। अतः सभी प्रभावित खसरों से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात समिति ने आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के बाद प्रकरण पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-6

220/30.09.2014 (जोन-16)

विषय :- जोन-16, पृथ्वीराज नगर योजना में कालवाड़ सड़क (गोविन्दम टावर) से कनकपुरा रेलवे लाईन तक के क्षेत्र को जोड़ने वाली 120 फीट चौड़ी सेक्टर सड़क बाबत।

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-7

220/30.09.2014 (जोन-16)

विषय :- जोन-16, पृथ्वीराज नगर योजना में कालवाड़ के दक्षिण में नारायण पैराडाइज से भास्कर नगर तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सेक्टर सड़क बाबत।

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।



10/12

एजेण्डा संख्या-25

220/30.09.2014 (जोन-7)

विषय :- एच.टी लाइनो के सेफ्टी कोरीडोर के साथ सड़को की चौड़ाई व भवनो की उंचाई बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सेफ्टी कोरीडोर के दोनो ओर 30 फिट या 40 फिट सड़क प्रस्तावित है एवम दोनो ओर की सड़को के बीच के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है उन स्थानो पर प्रस्तावित भवनो की उंचाई के लिए सड़क की आधारभूत चौड़ाई क्या मानी जावे, इस संदर्भ में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1

220/30.09.2014 (जोन-7)

विषय :- सेक्टर प्लान 56 व 56-ए के मध्य 200 फीट सेक्टर रोड के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात सेक्टर 56 की प्रश्नगत 200 फीट सड़क को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-2

220/30.09.2014 (जोन-18)

विषय :- पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) में स्थित तहसील सांगानेर के ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास के खसरा नं. 102, 103, 104, 109 में सेक्टर-एच एवं सेक्टर-आई के बीच आ रही 30 मीटर की सेक्टर रोड, जो वी.टी. रोड के सामने है तथा जोन-18 व जोन-19 के मध्य है, का एलाइनमेंट परिवर्तन मौके पर स्थित निर्माण को देखते हुए किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3

220/30.09.2014 (जोन-5)

विषय :- अपोलो गृ.नि.स. समिति की मंगल विहार योजना के भूखण्ड संख्या 159 से 165 के पुनर्गठन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श करने के पश्चात अपोलो गृ.नि.स. समिति की मंगल विहार योजना के भूखण्ड संख्या 159 से 165 के नियमानुसार सभी शुल्क लिये जाने के पश्चात पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित भूखण्ड के सैटबैक व अन्य देय मानदण्ड एजेण्डा में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार देय होंगे।



9/12

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-13

220/30.09.2014 (जोन-12बी)

विषय :- निजी खातेदारी योजना में सुविधा क्षेत्र की ए श्रेणी की भूमि के एण्ड यूज निर्धारण के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार निजी खातेदारी योजनाओं के सुविधा क्षेत्रों के लिए जोन के प्रस्ताव अनुसार एण्ड यूज निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-14

220/30.09.2014 (जोन-15)

विषय :- निजी खातेदारी योजना में सुविधा क्षेत्र की ए श्रेणी की भूमि के एण्ड यूज निर्धारण के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार निजी खातेदारी योजनाओं के सुविधा क्षेत्रों के लिए जोन के प्रस्ताव अनुसार एण्ड यूज निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



अति. मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी-II)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/मा. प्लान/बीपीसी (एलपी)/2014/डी- 215

दिनांक: 08-10-2014

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी एलपी (I/II) जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

12/12



अति. मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी-II)
जविप्रा, जयपुर।